न्यायालय, समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश–पत्रक
(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0..............................से..

जिला–खगड़िया..............................,सा0..,सन्.............................केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्याः– 30/2019–20 राज्य बनाम रेल थाना मानसी कांड संख्याः–07/2019

सेआदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
06.04.2019	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत रेल थाना, मानसी में दर्ज कांड संख्याः–07/2019 दिनांक 13.03.2019 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार के पत्रांक 157/हि0शा0 (उत्पाद) दिनांक 28.03.2019 के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, रेल थाना, मानसी के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 750 एम0एल0 का 17 बोतल, विदेशी शराब माननीय न्यायालय के निदेशानुसार उत्पाद रसायन परीक्षक, बिहार, पटना से विधिवत की प्रकिया पूरी कर ली गयी है तथा शेष 750 एम0एल0 का 17 बोतल कुल–12.750 लीटर विदेशी शराब रेल थाना, मानसी के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई विदेशी शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12.750 लीटर विदेशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए रेल थाना, मानसी कांड संख्या–07/2019 के आधार पर जप्त की गई शेष कुल–12.750 लीटर विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार/रेल थानाध्यक्ष, मानसी/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित। 6/4 समाहर्त्ता, खगड़िया। 6/4 समाहर्त्ता, खगड़िया।	

क्रम सं0 और तारीख 1.	02.	गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 03.
	डी0बी0 नं0 344 /विधि, दिनांक 8.4.19 प्रतिलिपिः–रेल पुलिस अधीक्षक, कटिहार/रेल थानाध्यक्ष, मानसी/ उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 8/4/19 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 8/4/19	